

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4()खाद्यसुरक्षा/विधि/पंरा/13/662 जयपुर,दि0 27.8.2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

विषय:- दिनांक 10 एवं 20 सितम्बर, 2013 को विशेष
ग्राम सभाओं के आयोजन बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के क्रियान्वयन बाबत खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 24.8.2013 को एक परिपत्र (यह परिपत्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।) जारी किया जाकर, समस्त जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए हैं । इस परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों/व्यक्तियों के संबंध में आपत्तियां दिनांक 02 सितम्बर, 2013 से 08 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णीत की जावेंगी । इस प्रकार आपत्ति प्राप्त नहीं होने वाले परिवारों/ लाभान्वितों की सूची के अनुमोदन हेतु दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को तथा आपत्तियों के निर्णय के पश्चात अनुमोदन हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं की बैठकें रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक रूप से उपर्युक्तानुसार राज्य की समस्त पंचायतों में दिनांक 10 एवं 20 सितम्बर, 2013 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावें ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
5. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
7. रक्षित पत्रावली ।


उप शासन सचिव(विधि)